

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

// आ दे श //

क्रमांक ए/2576/

जबलपुर, दि० 23 जुलाई, 2010

(तीन-18-1/2009)

(अ) जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय में कार्यरत नीचे दी गई सारिणी के स्तंभ क्रमांक (2) में दर्शाये गये न्यायालय उपाधीक्षक की पदोन्नति उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, न्यायालय अधीक्षक के पद पर, वेतनमान रूपये 9300-34800+GP 3600 में अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त की जाकर उनकी पदस्थापना सारिणी के स्तंभ क्रमांक (4) में दर्शायी गई न्यायिक जिला स्थापना पर की जाती है, अर्थात् :-

क्रमांक (1)	न्यायालय उपाधीक्षक का नाम (2)	कहाँ से (3)	कहाँ को (4)	विवरण (5)
1.	श्री आर०पी० पांडेय	शाजापुर	इंदौर	श्री सी०बी०सोनी की सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त हाने वाले स्थान पर ।
2.	श्री सियाराम बंसल	अशोकनगर	विदिशा	श्री एम०एस०कुरैशी की सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त हाने वाले स्थान पर ।
3.	श्री हीरालाल गुप्ता	सतना	सिंगरौली	नया जिला गठित होने के फलस्वरूप ।

(ब) जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय में कार्यरत नीचे दी गई सारिणी के स्तंभ क्रमांक (2) में दर्शाये गये लेखापाल की पदोन्नति उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, न्यायालय उपाधीक्षक के पद पर, वेतनमान रूपये 5200-20200+GP 2800 में अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त की जाकर उनकी पदस्थापना सारिणी के स्तंभ क्रमांक (4) में दर्शायी गई न्यायिक जिला स्थापना पर की जाती है। साथ ही यह शर्त अधिरोपित की जाती है कि यदि कोई भी लेखापाल पदोन्नति पर जाने से इंकार करता है तो उसे उसी हैसियत से अन्य जिला स्थापना पर स्थानान्तरित कर दिया जावेगा जिससे संबंधित स्थापनाओं के कनिष्ठ कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर बाधित न हों।

क्रमांक (1)	लेखापाल का नाम (2)	कहाँ से (3)	कहाँ को (4)	विवरण (5)
1.	श्री रविशंकर तिवारी	सिवनी	सिंगरौली	रिक्त नवीन स्थापना पर
2.	श्री मोहन लाल वशिष्ठ	शाजापुर	झाबुआ	रिक्त नवीन स्थापना पर
3.	श्री अम्बीश सिंह जादौन	विदिशा	अशोकनगर	रिक्त स्थान पर
4.	श्री सुरेन्द्र कुमार रजक	मंडला	सतना	रिक्त स्थान पर
5.	श्री दिलीप रामकृष्ण हिरसकर	बडवानी	शाजापुर	रिक्त स्थान पर

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार

(टी०के० कोशल)
रजिस्ट्रार जनरल

23/7/10

पृ० क्रमांक ६/२५७७/
(तीन-१८-१/२००९)

जबलपुर, दि० २३ जुलाई, २०१०

प्रतिलिपि :-

- (१) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर/ इंदौर/अशोकनगर/विदिशा/सतना/सिगरौली/सिवनी/ झाबुआ/मंडला/बडवानी ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया संबंधित कर्मचारियों को उनकी पदस्थापना से इस प्रकार कार्यमुक्त कर निर्देश देवें कि संबंधित कर्मचारियों द्वारा नई पदस्थापना पर दिनांक **16.08.2010** अथवा उसके पूर्व कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित किया जा सके। यह भी अनुरोध है कि कृपया संबंधित कर्मचारियों को भारमुक्त करने एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से रजिस्ट्री को यथाशीघ्र अवगत करावें।

- (३) रजिस्ट्रार (जिला स्थापना), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
(४) अनुभाग अधिकारी (जिला स्थापना शाखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
(५) श्री आर०पी० पांडेय, उपाधीक्षक, शाजापुर,
(६) श्री सियाराम बंसल, उपाधीक्षक, अशोकनगर,
(७) श्री हीरालाल गुप्ता, उपाधीक्षक, सतना ।
(८) श्री रविशंकर तिवारी, लेखापाल, सिवनी
(९) श्री मोहनलाल वशिष्ठ, लेखापाल, शाजापुर
(१०) श्री अम्बीश सिंह जादौन, लेखापाल, विदिशा
(११) श्री सुरेन्द्र कुमार रजक, लेखापाल, मंडला
(१२) श्री दिलीप रामकृष्ण, लेखापाल, हिरसकर

को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कर्मचारी अपनी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपे कि पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक **16.08.2010** या उसके पूर्व अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें।

श्री हीरालाल गुप्ता एवं श्री रविशंकर तिवारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपे कि पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक **02.08.2010** या उसके पूर्व अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें।

नोट :-पदोन्नत कर्मचारी को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पद का उपरोक्तानुसार कार्यभार ग्रहण करें एवं वेतन निर्धारण के लिये वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक डी/३८६/६८४/८७/नि-१/चार दिनांक २५.०७.१९८७ के अनुसार इस आदेश की प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अंदर विकल्प प्रस्तुत करें। संबंधित लेखापाल को निर्देशित किया जाता है कि यदि वे इस पदोन्नती का परित्याग करते हैं तो उसे पदोन्नती के एवज् में पूर्व में प्रदान किये गये कर्मोन्नती वेतनमान का लाभ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ-१-१/१/वेआप्र/९९ दिनांक ०५.०७.२००२, २३.०९.२००२ में दिये गये निर्देशों के अनुसार समाप्त कर दिया जावेगा।


(टी० के० कौशल)
रजिस्ट्रार जनरल